रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03062021-227322
CG-DL-W-03062021-227322

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, मई 23 - मई 29, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 2 - ज्येष्ठ 8, 1943
No. 16] NEW DELHI, MAY 23 - MAY 29, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 2 -JYAISTHA 8, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अप्रैल,2021

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .–** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .–**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान)	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अuuqसचिवीय |	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600 - 151100/- रु.)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन में मास्टर डिग्री । (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी स्कीम के अधीन कीटनाशी या मलेरिया-निरोधियो के गुणवत्ता नियंत्रण में शिक्षण और अनुसंधान में तीन वर्षों का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण** 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू 44900-142400) वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के हितों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

	2. निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य 3. निदेशक,(ए और वी) या उप निदेशक(ए और वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	

[फा. सं.एन.-1-51/2019- प्रशा.I]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th April, 2021

G.S.R . 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of National Malaria Eradication Programme, Research Officer (Chemistry) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Chemistry) in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Research Officer (Chemistry) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer (Chemistry).	02* (2021) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-	Level- 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Not applicable	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto five

	on workload.	Ministerial.			years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: i) Master Degree in Organic Chemistry from a recognised University or institute. ii) Three years experience in teaching and research in quality control of insecticides or anti- malarials, under any of the Schemes of the Central Government or State Government.	Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note 1**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with two years regular service in posts in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) ; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7) . **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1.Additional Director General Health Services, Directorate General of Health Services - Chairman ; 2.Director, National Vector Borne Disease Control Programme – Member; 3. Director, (A & V) or Dy. Director (A & V), Directorate General of Health Services – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 1-51/2019-Admn.I]

SHORAN SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.03 17:52:43 +05'30'